***प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-***

***(पत्रांक-94/2024 दिनांक 03.04.2024)***

***दिनांक-03.04.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-***

***अपहरण की झूठी घटना का पर्दाफाश, 02 अदद अवैध तमंचे व घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ 03 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्वेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक प्रताप अजेय के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.04.2024 को परसौनी नहर पुल के पास से प्र0नि0 श्री सुशील कुमार शुक्ला थाना कोत0 पडरौना मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 198/24 धारा 365 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1-किशन सिहं उर्फ हिमांशु सिंह पुत्र त्रिलोकी सिंह निवासी वार्ड नं0-06 मटियरवा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर, 2-विकाश चौबे पुत्र अवधेश चौबे निवासी वार्ड नं0-15 सेवरही थाना सेवरही जनपद कुशीनगर, 3-राजा पुत्र रामनाथ जायसवाल निवासी वार्ड नं0-15 सेवरही थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचे व घटना में प्रयुक्त वाहन की बरामदगी करने में सफलता प्राप्त की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***घटना का संक्षिप्त विवरण-***

अभियुक्तगण शेयर मार्केट ट्रेडिग का काम करते है जिसमें कई लोगो से पैसा उधार लेकर लगाये थे जिसमें अभियुक्तगण को काफी घाटा हो गया जब वे लोग अपना पैसा मांगने लगे तो अभियुक्तगण पर पैसा वापस देने का अत्यधिक दबाव हो गया जिस कारण अभियुक्तगणों ने एक साथ योजना बनाया कि अपने ही साथी से किशन सिंह उर्फ हिमाशु सिंह का उसकी सहमती से अपहरण कर लिया जाय ताकि उसके चाचा लालसाहब सिंह जो पेशे से शिक्षक है जिनके पास पर्याप्त पैसा है किशन सिहं उर्फ हिमांशु सिंह को छोड़ने के बदले अभियुक्तगण को अत्यधिक पैसा मिल जाएगा जिससे अभियुक्तगण अपने कर्जे को चुका दे इसी योजना के तहत दिनांक 01.04.2024 को समय 15.00 बजे किशन सिहं उर्फ हिमांशु सिंह अपने दो भाईयो अंकित सिंह व चचेरा भाई प्रतीक सिंह को जानबुझकर अपने साथ ले लिया जिससे यह पता चले कि मेरा वास्तव में अपहरण हुआ है, उक्त तीनो अभियुक्तगण अपने गाँव मटियरवा से चन्दरपुर अपनी मोटरसाईकिल से जा रहे थे जिसको अभियुक्त किशन सिहं उर्फ हिमांशु सिंह द्वारा जानबूझकर उसी सुनसान रास्ते से ले जाया जा रहा था कि सुनसान जगह पर ही दो व्यक्तियो विकाश चौबे व राजा जायसवाल द्वारा किशन सिहं उर्फ हिमांशु सिंह का उसके भाईयो को अवैध तमंचा दिखाकर अपहरण कर लिया गया तथा अपनी मोटरसाईकिल से लेकर भाग गया। जिसकी सूचना अभियुक्त किशन सिहं उर्फ हिमांशु के भाई द्वारा दिनांक 01.04.2024 को समय 15.44 बजे PRV को दी गयी जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के भाई के तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 198/24 धारा 365 IPC पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के पश्चात अभियुक्तगण द्वारा किशन सिहं उर्फ हिमांशु सिंह के चाचा लालसाहब सिहं से कठकुईया रेलवे स्टेशन पर 08 लाख रूपये की माँग की जा रही थी। पुलिस की सक्रियता से घटना में सम्मिलित अभियुक्तगणों गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया है।

***गिरफ्तार अभियुक्तगण-***

1-किशन सिहं उर्फ हिमांशु सिंह पुत्र त्रिलोकी सिंह निवासी वार्ड नं0-06 मटियरवा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

2-विकाश चौबे पुत्र अवधेश चौबे निवासी वार्ड नं0-15 सेवरही थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

3-राजा पुत्र रामनाथ जायसवाल निवासी वार्ड नं0-15 सेवरही थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

***पंजीकृत/आपराधिक इतिहासः-***

1-मु0अ0सं0 198/24 धारा 365 भादवि थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
2-मु0अ0सं0 201/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर बनाम अभियुक्तगण (विकाश चौबे, राजा उपरोक्त)
3-मु0अ0सं0 272/23 धारा 379,411,414 भादवि थाना सेवरही जनपद कुशीनगर (बनाम राजा उपरोक्त)

***बरामदगी का विवरण-***

1-02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,
2-घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल Hero HF Delux UP 57 AF 4681,

***गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-***

1-प्र0नि0 श्री सुशील कुमार शुक्ला थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
2-उ0नि0 श्री विवेक पाण्डेय चौकि प्रभारी चौकी मिश्रौली थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
3-उ0नि0 श्री गौरव कुमार वर्मा चौकी प्रभारी बांसी थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
4-उ0नि0 श्री सचिन दिवाकर थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
5-हे0का0 अखिलेश यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
6-का0 कमलेश यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनग
7-का0 फैजे आलम थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

***थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.04.2024 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 167/2024 धारा 354,451,506,376 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त रतन तिवारी पुत्र सत्यनरायण तिवारी ग्राम सिनहा थाना कृष्णगढ जि0 भोजपुर (आरा) बिहार को एक अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***पंजीकृत अभियोग-***

मु0अ0सं0 167/2024 धारा 354,451,506,376 भादवि0

***बरामदगी का विवरण-***

एक अदद मोटरसाइकिल अपाची सफेद रंग की

***गिरफ्तार करने वाली टीम-***

1. प्र0नि0 श्री हर्षवर्धन सिंह थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 पंकज यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
3. का0 रविशंकर तिवारी थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

***थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.04.2024 को थाना हनुमानगंज पुलिस टीम द्वारा मु0नं0 2653/2020 धारा 419,420,467,468 भादवि से सम्बन्धित वारंटी दिनेश पुत्र सज्जन सा0 रामपुर जंगल थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***पंजीकृत अभियोग-***
मु0नं0 2653/2020 धारा 419,420,467,468 भादवि

***गिरफ्तार अभियुक्त-***
दिनेश पुत्र सज्जन सा0 रामपुर जंगल थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

***गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-***
1-थानाध्यक्ष श्री अजय कुमार पटेल थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
2-उ0नि0 श्री शमशेर यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
3-हे0का0 नित्यानन्द सिंह थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
4-का0 विक्रान्त शुक्ला थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

***थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा पशु तस्कर गैंग के 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई-***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.04.2024 को पशु तस्करी गैग से संबंधित अभियुक्तगण 1.इरशाद उर्फ लाली पुत्र अजिमुल्लाह ग्राम लतवामुरलीधर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर 02. इसराफिल शाह पुत्र आविद शाह ग्राम नरहवा शुक्ल थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज (बिहार) 03. मन्जू पत्नी इमानदार ग्राम पिपरा कपूर थाना को0हाटा जनपद कुशीनगर 04. हिसाबुद्दीन उर्फ टेनी पुत्र सुजायत अन्सारी ग्राम लतवामुरलीधर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर के विरुद्ध थाना तमकुहीराज द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने व अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यो के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गोवंशीय पशु को उत्तर प्रदेश से बिहार राज्य में ले जाकर गोकशी कर अधिक रुपया अर्जित कर अपना जीवन यापन करने का एक संुगठित गैंग है । अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-87/2022 धारा- 3/5A/8/5B गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व मु0अ0सं0 89/2022 धारा 3/5A/8/5B गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 419/420/468/471 भादवि पंजीकृत है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियो के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश से पशु तस्करी करने का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है जिनके विरूद्ध आज थाना हाजा पर मु0अ0सं0 86/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

***जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-***
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 44नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

***कार्यवाही एक नजर में =***
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00वाहन

2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-114,व्यक्ति-1196
3- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(05)
4-जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-49)

***सोशल मीडिया सेल***
***जनपद कुशीनगर***